रेरा उ.प्र.

# उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

| मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229 | क्षेत्रीय कार्यालय: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111 |
|---|---|

Website: www.up-rera.in, E-mail: contactuprera@up-rera.in, Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL, Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

---

प्रेस नोट- मार्च 7, 2024

## उ.प्र. रेरा रियल एस्टेट अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करेगा

- रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोमोटर्स तथा घर खरीदारों मे मध्य अभिकर्ता (एजेंट्) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका प्रशिक्षण तथा प्रमाणन से सेक्टर के नियमन एवं समग्र विकास में अपेक्षित बढ़ोतरी तथा पारदर्शिता लाएगा।
- इससे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के विषय में एजेंट्स में जागरूकता बढ़ेगी तथा अनुपालन कराया जा सकेगा जिससे उनकी विश्वसनीयता और घर खरीदारों के प्रति जवाबदेही बनी रहेगी।
- नए के साथ-साथ रेरा में पजीकृत सभी एजेंट्स तथा ब्रोकर्स को क्रमशः नया पंजीयन कराने तथा अपना पंजीयन ऐक्टिव/ सक्रिय रखने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

लखनऊ/ गौतमबुद्द नगर: उत्तर प्रदेश के रियल-एस्टेट सेक्टर के नियमन तथा समग्र विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं (रियल एस्टेट एजेंट्स) की भूमिका एवं योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके योगदान एवं भूमिका को ध्यान मे रखते हुए तथा उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में और अधिक कुशलता, विश्वानीयता एवं स्थिरता लाए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. रेरा द्वारा एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट एजेंट्स में रेरा अधिनियम के प्राविधानों एवं उ.प्र. रेरा नियमावली के प्रति जागरूकता लाना, प्राधिकरण के ढांचे तथा कार्यशैली से अवगत कराना है। इसका प्रभाव यह होगा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के विषय में आवश्यक जागरूकता बढ़ेगी तथा जारी किए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा एजेंट्स के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी।

उ.प्र. रेरा अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट्स बिना किसी प्रशिक्षण और प्रमाणन के क्रय-विक्रय का कार्य करते है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पीठ की सुनवाई के दौरान पाया गया है। अभी उ.प्र. रेरा में 6700 से ज्यादा पंजीकृत एजेंट है और इनका प्रशिक्षण और प्रमाणन रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता लाने और विकास के लिए आवश्यक है।

अब उ.प्र. रेरा में नवीन एजेंट्स को पंजीकरण से पूर्व प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह उ.प्र. रेरा में पहले से पंजीकृत एजेंट्स पर भी लागू होगा और उन्हें अगले एक वर्ष की अवधि के अंदर प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा पूर्व मे निर्गत किया गया पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

उ.प्र. रेरा द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें एजेंट्स को रेरा अधिनियम 2016, उनके प्राविधानों तथा अनुपालन, उ.प्र. रेरा नियमावली 2016, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों, हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, घर खरीदारों तथा प्रोमोटर्स के मध्य रियल एस्टेट लेनदेन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रासंगिक कानूनों, आदि पर विधिवत प्रशिक्षण दिया जाएगा। चौथे दिन अभिकर्ताओं की परीक्षा होगी, जिसके मूल्यांकन उपरांत अभिकर्ताओं के प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण माह अप्रैल 2024 से प्रारंभ किया जाएगा जो लखनऊ जनपद से प्रारंभ होगा।

उ.प्र. रेरा मे लखनऊ जनपद के पंजीकृत एजेंट्स रेरा पोर्टल पर अपने लॉगिन से प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण हेतु ऑनलाइन नामांकन प्रस्तुत करना तत्काल सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी नामांकन के उपरांत प्रदान की जाएगी।

U.P. Real Estate Regulatory Authority

| Rajya Niyojan Sansthan, Navin Bhawan, Kalakankar House Old Hyderabad, Lucknow- 226007, Tel: +91 9151602229, +91 9151642229 | Regional Office, H-169, Gamma-II, Gr. Noida, Gautambuddh Nagar- 201308, Tel: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111 |
|---|---|

Website: www.up-rera.in, E-mail: contactuprera@up-rera.in, **Twitter**: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08,
**Facebook**: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL, **Youtube**: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

Press Note- March 7, 2024

## U.P. RERA will train and certify real estate agents

- Real estate agents play a vital role between promoters and home buyers hence their training and certification will excel regulation and development along with due transparency.
- This will create awareness among agents and brokers about directions being issued by the Authority to ensure compliance. It will improve their credibility and answerability towards home buyers.
- It is mandatory for new as well as already registered agents to complete the training and certification program to obtain new registration and keep their registration active respectively.

Lucknow/ Gautambuddh Nagar: The role and contribution of real estate agents are very vital in the regulation and overall development of the real estate sector. Considering their role and contribution and in order to bring more efficiency, reliability and stability in the tasks being executed by the real estate agents, U.P. RERA is commencing training and certification program for them. The objectives of this activity will result in the form of rising awareness about provisions of RERA Act and U.P. RERA Rules, make them understand the structure of the Regulatory and sensitize them about work model. The impact of whole program will reflect in the form of necessary awareness about order being issued by the Authority and their execution by the agents. Apart from this, this program will bring transparency and answerability in the work of agents which will boost their credibility in the real estate sector.

**U.P. RERA Chairman Sh. Sanjay Bhoosreddy** mentioned that agents in real estate sector are working without any training and certification. This is not healthy for the sector and sometimes we have noticed its adverse impact while hearing of the matters. Presently, there are more than 6700 registered agents and their training and certification is essential to bring transparency and credibility in the real estate sector.

Now onwards, it is mandatory to obtain certificate after training for new agents seeking RERA registration. This condition is applicable for already registered RERA agents and they have been given one year time to acquire training and obtain certificate else their RERA registration will be cancelled.

U.P. RERA will organize 3 days training program in which agents will be trained about RERA Act 2016, its provisions and compliance, U.P. RERA Rules 2016, regulations, directions being issued by the Authority, role and responsibility of stakeholders, relevant laws to make real estate deals easy with home buyers and promoters, etc. An examination will be held on fourth day and after evaluation, certificates will be distributed to the agents. The first phase of training program will commence from April 2024 from Lucknow.

In the first phase, Real estate agents registered on portal and located in Lucknow should ensure their enrollment immediately. After enrollment, more details about training program will be provided.